बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

कृष्ण मुरारी शर्मा

अध्यक्ष
वैद्यनाथ प्रसाद
(बी. एन. प्रसाद)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष
अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)
महासचिव : 2286093 (R)
उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)
कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
अर्जुन प्रसाद

संयुक्त सचिव
सहादत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह

कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या 6 दिनांक 16-3-05

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

विषय :- **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को हो रही कठिनाईयों एवं माँगों के सम्बन्ध में ज्ञापन ।**

महोदय,

इस पत्र के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को हो रही कठिनाईयों एवं माँगों के सम्बन्ध में आपका तथा महामहिम का ध्यान आकृष्ट करने की अनुमति चाहता हूँ । माँगों में विशेषकर क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों की सुरक्षा, बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों को 8,000-13,500/- रू० के वेतनमान, पदाधिकारियों को ससमय प्रोन्नति एवं सुनिश्चित वृत्ति योजना (ए० सी० पी०) के कार्यान्वयन के साथ-साथ क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आधारभूत सुविधा, प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में आ रही कठिनाईयाँ सम्मिलित है ।

सादर अनुरोध है कि राज्य के समुचित विकास एवं प्रशासनिक चुस्ती एवं पदाधिकारियों के मनोबल के लिए उल्लिखित विन्दुओं पर शीघ्र विचार करने हेतु संघ के शिष्ट मंडल से समय निर्धारित करने की कृपा की जाय । सुलभता हेतु माँगों से सम्बन्धित ज्ञापन की एक प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न है ।

ह0/-
(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव ।

ह0/-
(कृष्ण मुरारी शर्मा)
कार्यकारी अध्यक्ष ।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/3

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph कृष्ण मुरारी शर्मा

अध्यक्ष

वैद्यनाथ प्रसाद

(बी. एन. प्रसाद)

महासचिव

विपिन कुमार सिन्हा

(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष

अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)

महासचिव : 2286093 (R)

उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)

कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष

कृष्ण मुरारी शर्मा

अर्जुन प्रसाद

संयुक्त सचिव

सहादत हसन मन्टू

रजनीश कुमार सिंह

कोषाध्यक्ष

महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या

दिनांक

<u>ज्ञापन</u>

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल एवं मुख्य सचिव, बिहार सरकार को निम्नलिखित कठिनाईयों एवं मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती है :-

1. बिहार प्रशासनिक सेवा प्रथम प्राथमिकता की सेवा है। पूर्व में बिहार असैनिक सेवा की दो उप शाखायें थी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका शाखा । दोनों शाखाओं के लिए समान वेतनमान था। न्यायपालिका शाखा जो अब न्यायिक सेवा कहलाता है कि लिए 9,000-14,500/- रू0 का वेतनमान स्वीकृत हुआ है । यहां तक कि विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं को भी 8000-13,500/- रू0 का वेतनमान दिया जा चुका है । परन्तु कार्यपालिका शाखा जो अब बिहार प्रशासनिक सेवा है, के लिए पंचम वेतन पुनरीक्षण 2200-4000/- रूपये के वेतनमान का सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान 8000-13,500/- रू0 भी नहीं दिया गया है । पुनः प्रशाखा पदाधिकारी पद तथा पूर्व के पर्यवेक्षीय कई पदों के लिए 6500-10,500/- रू0 का पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया है। कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार प्रशासनिक सेवा को 8000-13,500/- रू0 का पुनरीक्षित वेतनमान औचित्यपूर्ण है । यह वेतनमान पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं कई अन्य राज्यों में लागू है।
2. बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी सुदूर क्षेत्रों में पदस्थापित रहते हैं और विगत वर्षो में उनके उपर हमला यहां तक कि उनकी हत्या की भी कई घटनायें घट चुकी है । संघ मांग करती है कि कार्यालय प्रधान के रूप में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारियों को एक-एक अंगरक्षक तथा सरकारी वाहन एवं छोटा अग्नेयास्त्र उपलब्ध करायी जाय ।

   इस सम्बन्ध में स्व0 दिवाकर साह, पूर्व अंचालाधिकारी, बारसोई, कटिहार का कर्तव्य अविध में हत्या एवं स्व0 अशोक राज वत्स, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरयरी, शेखपुरा के कर्तव्य के दौरान दिल दहलाने वाली हत्या में संलग्न अपराधियों का अब तक नहीं पकड़े जाने से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का बनोबल काफी गिर गया है एवं अपराधियों के दहशत के कारण वे अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं । फलतः विकास एवं प्रशासनिक कार्य करने में उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । इस पर शीघ्र उचित कदम उठाया जाना अत्यावश्यक है ।
3. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को 5 वर्षो तक स्टैगनेशन की स्थिति क्षेलने के बाद वर्ष 2004-05 के विभिन्न श्रेणी में प्रोन्नति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रयास से दी गयी है परन्तु गोपनीय अभ्युक्ति एवं अन्य कारणों से कुछ

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

अध्यक्ष
वैद्यनाथ प्रसाद
(बी. एन. प्रसाद)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष
अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)
महासचिव : 2286093 (R)
उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)
कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
अर्जुन प्रसाद
संयुक्त सचिव
सहादत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या

दिनांक

प्रोन्नतियां अब तक नहीं मिल पायी है । वर्ष 2005 में प्रोन्नति हेतु सेवा निवृत्ति के उपरान्त रिक्त पदों को भरने की शीघ्र कार्रवाई की भी आवश्यकता है ।

राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ए0 सी0 पी0) योजना लागू की गयी है । परन्तु 12 वर्षो से अधिक अवधि से बेसिक ग्रेड में ही रह रहे बिहार प्रशासनिक सेवा के सैंकड़ों पदाधिकारी अभी तक इस लाभ से वंचित हैं अतः इस पर शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है ।

4. केन्द्रीय वेतनमान सहित कुछ अन्य लाभ राज्य कर्मियें एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्राप्त है । परन्तु फिटमेंट समिति के अनुशंसा के अनुरूप राज्य सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु सीमा 58 वर्ष से 60 वर्ष नही की गई है । जबकि झारखंड सहित बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में सेवानिवृति की आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गयी है ।

इसी प्रकार झारखंड सहित अन्य राज्यों में मूल वेतन में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता केन्द्र सरकार के अनुरूप जोड़ (Merge) दिया गया है परन्तु बिहार में इसकी स्वीकृति नहीं दी गयी है ।

विदित हो कि बिहार-झारखंड के कई सेवा के पदाधिकारियों का कैडर विभाजन लम्बित है । कैडर विभाजन के बाद झारखंड से बिहार योगदान करने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों के सामने उम्र सीमा 58-60 वर्ष बिना बढ़ाए और वेतनमान में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता बिना जोड़े कई विसंगतियों को पैदा करेगा ।

अतः संघ यह मांग करती है कि सेवानिवृति की उम्र सीमा 58-60 वर्ष बढ़ाने एवं मूल वेतन में 50 प्रतिशत जोड़ने (Merge) करने सम्बन्धित आदेश सरकार तुरन्त निर्गत करें ।

5. राज्यहित एवं प्रशासनिक हित में संघ मांग करती है कि नव पदस्थापित जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचलों में मूलभूत सुविधायें तत्परता से उपलब्ध करायी जाय क्योंकि इसके बिना कर्तव्यों का निर्वहन करना पदाधिकारियों के लिए दुष्कर है ।

6. बिहार प्रशासनिक सेवा के कई पदाधिकारी वर्षो से निलंबित हैं और विभागीय कार्यवाही का स-समय संचालन नहीं हो पा रहा है । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 9160 दिनांक 21.07.86 के आलोक में दो वर्षो से अधिक समय से निलंबित पदाधिकारियों को अविलम्ब निलंबन से राज्य सरकार मुक्त करना चाहेगी ।

(कृष्ण मुरारी शर्मा)
कार्यकारी अध्यक्ष

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव ।